

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
पितासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या: 31/2024
जी.सी.एम.एस. नं: 2024/246

दर्ज दिनांक: 28.08.2024

राजेन्द्र कुमार पुत्र हरि नारायण कुमावत निवासी कोट तह. उदयपुरवाटी।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांक:- 27.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 73 पुराना 64 के ख.नं. 706 रकबा 0.59 हैक्टर, ख.नं. 708 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.नं. 709 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 711 रकबा 0.45 हैक्टर, ख.नं. 712 रकबा 0.09 हैक्टर, ख.नं. 717 रकबा 0.30 हैक्टर, ख.नं. 718 रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 719 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 721 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.42 हैक्टर भूमि अवस्थित है तथा उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मय दस्तावेज सूची संलग्न परिवाद है। उक्त भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि थी उक्त भूमि में की खातेदारी आवेदक के नाम दर्ज है तथा आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक अपना विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादी से मिला तो वादी को ज्ञात हुआ कि उसके पिता का नाम उसके दस्तावेज तथा राजस्व रिकार्ड दोनों में भिन्न भिन्न है जिसको दुरुस्त करवाने पर ही विरासतन नामान्तरण दर्ज करने की बात कही तथा दुरुस्त करने के लिए आप महोदय जी का आदेश लाने की बात कही। आवेदक के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नारायण पुत्र प्रभु दर्ज है जो गलत है जबकि आवेदक के पिता के समस्त दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ओड में आवेदक के पिता का नाम हरि नारायण दर्ज है तथा आवेदक के समस्त दस्तावेज में भी आवेदक के पिता का नाम हरि नारायण दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता का नाम नारायण पुत्र नाथू दर्ज है।

अंत में निवेदन किया गया कि ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 73 पुराना 64 के ख.नं. 706 रकबा 0.59 हैक्टर, ख.नं. 708 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.नं. 709 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 711 रकबा 0.45 हैक्टर, ख.नं. 712 रकबा 0.09 हैक्टर, ख.नं. 717 रकबा 0.30 हैक्टर, ख.नं. 718 रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 719 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 721 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.42 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता के गलत दर्ज नाम नारायण पुत्र नाथु को सही नाम हरि नारायण पुत्र नाथू से दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार महोदय, उदयपुरवाटी को फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भूअ./2025/1054 दिनांक 06.05.2025 से तथ्यात्मक जांच प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित व न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

बहस प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान दलील प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 73 पुराना 64 के ख.नं. 706 रकबा 0.59 हैक्टर, ख.नं. 708 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.नं. 709 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 711 रकबा 0.45 हैक्टर, ख.नं. 712 रकबा 0.09 हैक्टर, ख.नं. 717 रकबा 0.30 हैक्टर, ख.नं. 718 रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 719 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 721 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.42 हैक्टर भूमि अवस्थित है तथा उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मय दरतावेज सूची संलग्न परिचाय है। अतः में निवेदन किया गया कि ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 73 पुराना 64 के ख.नं. 706 रकबा 0.59 हैक्टर, ख.नं. 708 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.नं. 709 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 711 रकबा 0.45 हैक्टर, ख.नं. 712 रकबा 0.09 हैक्टर, ख.नं. 717 रकबा 0.30 हैक्टर, ख.नं. 718 रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 719 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 721 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.42 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता के गलत दर्ज नाम नारायण पुत्र नाथु को सही नाम हरि नारायण पुत्र नाथु से दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार महोदय, उदयपुरवाटी को फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दरतावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायाचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 73 पुराना 64 के ख.नं. 706 रकबा 0.59 हैक्टर, ख.नं. 708 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.नं. 709 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 711 रकबा 0.45 हैक्टर, ख.नं. 712 रकबा 0.09 हैक्टर, ख.नं. 717 रकबा 0.30 हैक्टर, ख.नं. 718 रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 719 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 721 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.42 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नारायण पुत्र नाथु की जगह हरि नारायण पुत्र नाथु शुद्ध व दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।



(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी